न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

[प्र]करण संख्या: 31 / 2021

प्रार्थी :–

1. वालाराम वल्द गुमनाराम
   जाति जाट निवासी नाईयों की ढाणी, अणखिया तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. राणा वल्द पीरा
2. ताजा वल्द पीरा
3. टीकू वल्द पीरा
4. पदमो पत्नि किरता फौत के कायम मुकाम
   4 / 1 हरखाराम गोदपुत्र किरता
5. पारू पत्नि किरता
   जाति जाट निवासी नाईयों की ढाणी, अणखिया तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
6. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी
2. अप्रार्थीगण – अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक :–3.9.21

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2072–2075 सरहद मौजा नाईयों की ढाणी पटवार मण्डल नौखडा तहसील गुडामालानी के खेत खसरा 34 / 2 रकबा 32–07 बीघा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति [illegible] में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स[illegible] में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी [illegible] खातेदार दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना [illegible] न्यायोचित प्रतीत होता [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.14 16:21:40 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा नाईयों की ढाणी पटवार मण्डल नौखडा तहसील गुडामालानी के खेत खसरा 34 / 2 रकबा 32–07 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना आर.जी.टी. रावली नाडी, नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 3-9-21 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.14 16:21:40 IST
Reason: SelfAttested